

ई-मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

सख्या : ई-2018/जी0एस0
दिनांक : नवम्बर, 22, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वात विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन सख्या : ई-8006/2023, दिनांक नवम्बर 22, 2023 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। ना0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉ० सुधीर एम0 बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज भवन, लखनऊ

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

वितरण संख्या : ई-8006/2023

दिनांक : मंगल 22/12/2023

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) जो कि डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 संख्या 1 एवं 2020) से अस्तित्व स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत मंत्रि सचिवालय द्वारा अनुसूचित मंत्रालय में से सुलाघात के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 70 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल उही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

यदि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रशासक कार्यालय और वैश्विक स्तर पर होने में इतिहासिक अवधि में उत्कृष्ट कार्य की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत समर्थकता होने चाहिए। उम्मीदों को विश्वास सिद्धांत होने के साथ-साथ ही प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए उम्मीदवारों को राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्दिष्ट प्रारूप में अपने आवेदन दिनांक 15/12/2023 तक केवल ऑन लाइन (On Line) भेजा जायेगा है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।